न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2019 / 00261 / 225

1. गोपालसिंह पुत्र नारायण सिंह, जाति राजपूत, निवासी महतगांव, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. विक्रमसिंह पुत्र किशनसिंह, जाति राजपूत, निवासी महतगांव, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।

अपीलांटस

बनाम

1. सूरजभानसिंह पुत्र नारायण, जाति राजपूत, निवासी गागरडू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
2. उदयभानसिंह पुत्र सूरजभान सिंह उर्फ जनक सिंह, जाति राजपूत, नि0 गागरडू, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
3. अमरभान सिंह पुत्र सूरजभान सिंह, जाति राजपूत, निवासी गागरडू, तह0 दूदू, जिला जयपुर ।
4. सीमा कंवर पुत्री सूरजभान सिंह, जाति राजपूत, निवासी गागरडू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
5. इन्द्र कंवर पुत्री सूरजभान सिंह, जाति राजपूत, निवासी गागरडू, तहसील दूदू, जिला जयपुर ।
6. तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर ।

रेस्पोडेंट

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध आदेश विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू, जिला जयपुर दिनांक 01.07.2019 अंतर्गत प्रकरण संख्या 28 / 2017.

उपस्थितः—

1. श्री विरेन्द्रसिंह खंगारोत, वकील अपीलांटस ।
2. श्री राधेश्याम लक्षकार वकील रेस्पो0 संख्या 1, 3 से 5.
3. रेस्पो0 संख्या 2 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 3.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू के आदेश दिनांक 1.7.2019 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थीगण / अपीलांटस ने अधी0न्याया0 के समक्ष वादपत्र के साथ प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर 313, 324, 325 कुल किता 3 कुल रकबा 8.98 है0, खसरा नंबर 321, 323 कुल किता 2 कुल रकबा 8.98 है0 वाके ग्राम महतगांव में स्थित है । उक्त आराजी स्व0 नारायणसिंह की खातेदारी की आराजियात रही है जो ठाकुर साहब नारायणसिंह को विरासत से प्राप्त हुई थी तथा आराजियात में अपीलांटस का जन्म से ही

हित निहित है । उक्त आराजियात के अतिरिक्त ठाकुर साहब नारायणसिंह के पास ग्राम गागरडू में भी कृषि आराजियात थी जिस पर काबिज काश्त थे । ठाकुर साहब नारायण सिंह ने अपने जीवनकाल में ही अपने हिस्से से अधिक आराजियात का बख्शीशनामा अप्रार्थी संख्या 1 व चांदकंवर के हक में निष्पादित करवा दिया जो पूर्णतया अविरूद्ध था और उक्त बख्शीशनामे में कोई कब्जा अंतरित नहीं हुआ एवं प्रार्थीगण के हित तक उक्त बख्शीशनामा प्रारंभ से शून्य था । लगातार चालीस वर्षो से प्रार्थीगण ही उक्त आराजियात पर काबिज काश्त है एवं आराजियात के खातेदार काश्तकार हो गये है । परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने नाम दर्ज आराजियात का बिना कब्जे के ही विक्रय पत्र अपने पुत्र उदयभान सिंह के नाम गलत पता लिखते हुए निष्पादित करवा दिया जिसके आधार पर आराजियात गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हो गई जिसका लाभ उठाकर अप्रार्थीगण उक्त आराजियात को बैचान करने पर आमादा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान अधी0न्याया0 ने अपने निर्णय दिनांक 1.7.2019 के द्वारा प्रार्थीगण/अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांटस ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । जब अपीलांटस द्वारा विवादित आरायिजात बाबत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया गया था और अपीलांटस निरन्तर काबिज काश्त है तो ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को वादग्रस्त आराजियात की सुरक्षा हेतु अप्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करना चाहिये था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि जब दिनांक 26.4.1968 के बख्शीशनामे को स्वंय रेस्पो0 ने प्रकरण संख्या 81/75 में गलत माना है और उक्त आराजी में अपीलांटस का हिस्सा माना है तो उसी बख्शीशनामे के आधार पर प्राप्त आराजी में किस प्रकार रेस्पोडेंटस की खातेदारी निर्विवाद मानी जा सकती है । जब मुख्य विवाद ही खातेदारी को लेकर हो तो ऐसी स्थिति में अधी0न्याया0 को रिकार्ड व मौके को यथावत् रखने के आदेश जारी करने चाहिये थे किन्तु अधी0न्याया0 ने ऐसा न कर विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 के समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजात और प्लीडिंग से यह स्पष्ट था कि विवादित आराजियात पैतृक है तथा इसमें अपीलांट और रेस्पो0 का समान हिस्सा था तथा स्व0 नारायणसिंह को आराजियात की बख्शीश अपने एक पुत्र और पुत्रवधु के नाम करने का अधिकार नहीं था ऐसी स्थिति में अपीलांट जो कि स्व0 नारायणसिंह का पुत्र तथा मृत पुत्र का पुत्र है, के अधिकारों का क्या होगा और उनको उनके हिस्से की आराजियात किस प्रकार मिलेगी । केवल रेस्पो0 संख्या 1 के नाम आराजी दर्ज होने से ही स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया है जो विधिसम्मत् नहीं है । अधी0न्याया0 का आदेश नॉन–स्पीकिग आदेश है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा अपीलांटस द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 212 स्वीकार कर ताफैसला मूल वाद रेस्पो0 को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे । विद्वान वकील अपीलांटस ने अपने कथनों की पुष्टि में आर0बी0जे0 2002 पेज 106, आर0आर0डी0 2004 पेज 117, आर0बी0जे0 2015 पेज 299, आर0बी0जे0 2016 पेज 468, आर0आर0डी0 2006 पेज 294,

आर0आर0डी0 2006 पेज 838 एवं आर0बी0जे0 2004 पेज 606 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये ।

5. विद्वान वकील रेस्पो0 ने बहस में कथन किया कि विद्वान अधी0न्याया0 का आदेश विधिसम्मत् है । विवादित आराजी कुल किता 3 कुल रकबा 8.98 है0 की चांद कंवर पत्नि सूरजभान सिंह एवं खसरा नंबर 321, 323 रकबा 8.98 है0 के सूरजभान सिंह अप्रार्थी संख्या 1 खातेदार काश्तकार थे जिनके द्वारा अपनी उक्त भूमि को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के उदयभानसिंह पुत्र जनकसिंह को विक्रय कर दी जिसकी खातेदारी वर्तमान में क्रेता उदयभानसिंह पुत्र जनक सिंह के नाम दर्ज है जिसे अपीलांटस ने वाद एवं प्रार्थना पत्र पक्षकार नहीं बनाया है । विवादित भूमि ठाकुर नारायण सिंह के द्वारा चांद कंवर व सूरजभान सिंह को दिनांक 26.4.1968 को ही बख्शीश कर दी गई । नारायणसिंह के विरूद्ध हुई सीलिंग कार्यवाही के विरूद्ध वाद पेश किया जिसमें चांद कंवर व सूरजभान सिंह को जो भूमि संपूर्ण 143 बीघा 10 बिस्वा बख्शीश की गई थी उसमें से सीलिंग कार्यवाही के दौरान कोर्ट में राजीनामा के पश्चात् 143 बीघा में से 57 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रार्थी संख्या 1 व प्रार्थी संख्या 2 के पिता की खातेदारी में दर्ज की, जो वर्तमान में भी दर्ज चली आ रही है । शेष 86 बीघा भूमि चांदकंवर व सूरजभान के नाम दर्ज रही है जिसमें से भी ठाकुर नारायणसिंह ने अपने जीवनकाल में ही 1976 में उक्त भूमि में से 15 बीघा भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज थी उसको विक्रय करवा दिया एवं विक्रय प्रतिफल ठाकुर नारायणसिंह ने प्राप्त किया है । इस प्रकार विवादित आराजी पैतृक भूमि नहीं है । वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार रेस्पो0 है जिन्हें किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । बख्शीशनामा के 40–50 वर्षो के बाद अपीलांटस ने वाद पेश किया है । अपीलांटस का प्रथमदृष्टया केस नहीं बनता है । विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र निरस्त किया है । अतः अपील अपीलांटस निरस्त की जावे । विद्वान वकील रेस्पो0 ने अपने कथनों के समर्थन में आर0आर0डी0 2014 पेज 463, आर0आर0टी0 2010 (2) पेज 1392, आर0बी0जे0 2011 (18) पेज 567, आर0आर0टी0 2011 (2) पेज 1165 एवं आर0आर0टी0 2012 (2) पेज 1439 के न्यायिक दृष्टांत उद्धरित किये।

6. हमनें विद्वान उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांट ने विवादित आराजियात पैतृक होने के आधार पर अधी0न्याया0 के समक्ष वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु पेश किया है । अधी0न्याया0 की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजियात वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अप्रार्थीगण संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज होकर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है । विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि एक रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया जा सकता है । प्रथमदृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूर्णीय क्षति के घटक अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से अपने पक्ष में साबित करने में पूर्णतया असफल रहा है । इसके विपरीत रेस्पोडेंटस विवादित आराजियात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार होकर काबिज काश्त है जिन्हें यदि निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति भी रेस्पो0 को ही होगी । हस्तगत प्रकरण में अपीलांट के पक्ष में न तो प्रथम दृष्टया टाईटल है तथा न ही प्रथम दृष्टया आधिपत्य ही प्रमाणित है । विद्वान वकील रेस्पो0 द्वारा उद्धरित न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होते है। अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से अपीलांटस का प्रार्थना पत्र धारा 212

निरस्त किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है ।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा विद्वान उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा पारित निर्णय दिनांक 1.7.2019 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 3.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर